न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील सं0 15/2020

1. प्रभाती देवी पत्नि नाथूलाल
2. रामजीलाल पुत्र नाथूलाल
   समस्त जाति माली निवासी सैंथल तहसील दौसा जिला दौसा राज0।

...अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा। ...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार सैंथल दिनांक 04.11.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम प्रभातीदेवी वगै0 मु0नं0 110/2019 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री अशोक कुमार जोशी, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 16.12.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, सैंथल ने दिनाक 04.11.2019 को ग्राम चक हबीबवाला तहसील दौसा के आ0ख0नं0 286/1 रकबा 0.02 है0 एवं खसरा नं0 287/1 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 रकबा 0.04 है0 किस्म सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता पर संवत 2076 में बाजरा बुआई कर अपीलांट्स को अतिकमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को बिना समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया है। अपीलांट्स ने किसी भी सिवायचक भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। बल्कि अपीलांट्स स्वंय की खातेदारी भूमि पर काबिज चले आ रहे है। अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में नवीन अतिक्रमी बाबत रिपोर्ट की गई है इससे अपीलांट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। अपीलांट्स द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में सें कभी भी कोई समर्पणनामा राज्य सरकार के हक में पंजीबद्ध नही करवाया है। उक्त भूमि को गैर मुमकिन रास्ता पटवारी की रिपोर्ट मे दिखाया गया है जबकि उक्त भूमि मिन अपीलांट्स की खातेदारी भूमि है। किन्तु अन्य व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि के संबंध में एक फर्जी समर्पणनामा बनवाकर तहसीलदार के यहां समर्पित करवाकर रास्ते मे दर्ज करवा ली। तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 25.02.2017 को उक्त भूमि को रास्ते में दर्ज करने के आदेश दे दिये। जिसकी जानकारी मिन अपीलांट्स को पूर्व में कदापि नहीं थी। उक्त हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण धारा 91 में दर्ज कर बिना किसी जांच के न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.2019 को निर्णय पारित कर अपीलांट को 90 दिवस का सिविल कारावास एवं लगान का 50 गुना शास्ति से दण्डित करने का आदेश पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील पर अपीलांट्स के हस्ताक्षर अंकित है जो पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट्स नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आये है। अतः अपीलांट्स का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई/जिरह का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट्स अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट्स को पटवारी हल्का की रिपोर्ट में राजकीय सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर बाजरा बुआई कर अतिक्रमण करना अंकित किया है। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक की जांच अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए निर्णय दिनांक 4.11.2019 द्वारा बेदखली, पैनल्टी एवं सिविल कारावास से दंडित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट्स ने अपील में कथन किया है कि उनके द्वारा किसी भूमि का रास्ते हेतु समर्पण नहीं किया है तथा न ही कोई समर्पणनामा पंजीबद्ध कराया है। बिना पंजीबद्ध समर्पणनामे के आधार पर राज्य सरकार के पक्ष में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में भूमि दर्ज की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में कोई कोई साक्ष्य/सबूत पत्रावली में उपलब्ध हुए बिना सिविल कारावास से दंडित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट को रास्ते हुए भूमि समर्पित करने के संबंध में साक्ष्य एवं सबूत का अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सैंथल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2019 निरस्त किया जाता है। प्रकरण नायब तहसीलदार सैंथल को रिमाण्ड किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वे निर्णय के प्रकाश में अपीलांट को साक्ष्य एवं सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 16.12.2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official